अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
	श्री श्री	
20/12/19	पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र स्थगन पेश। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। दिनांक 05.12.2019 को अभिभाषक अपीलांट की एक पक्षीय बहस सुनी गई।	

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस निवेदन किया कि वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 01से 5 ने प्रतिवादी/अपीलाटस के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक),दूदू के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत कर कथन किया कि जमाबंदी सम्वत 2070 से 2073 के खाता संख्या 548 के आराजी खसरा नम्बर 1243, 1244, 1246 कुल किता 3 रकबा 1.62 है0 व खाता संख्या 137 के खसरा नम्बर 1255 रकबा 0.58 है. वाकै ग्राम बिचून तहसील मौजमाबाद में स्थित है। जिसकी खातेदारी खाता संख्या 548 में वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 01से 04 व खाता संख्या 37 में वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 05 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज इन्द्राज हैं जिस पर बहैसियत खातेदार काश्तकार मौके पर काबिज काश्त चले आ रहे है। उक्त वर्णित आराजीयात से प्रतिवादी/अपीलांट का कोई हक, हकूक या सम्बन्ध, सरोकार नही है। वादीगण/रेस्पोडेन्टस से पूर्व उनके बुजुर्गान व अब वादीगण काबिज काश्त चले आ रहे है। प्रतिवादी/अपीलांटस काफी प्रभावशाली व धनाढ्य वर्ग से है तथा वादीगण/रेस्पोडेन्टस गरीब काश्तकार है। प्रतिवादी/अपीलांटस षडयंत्र रचते हुए वादीगण/रेस्पोडेन्टस की कब्जे काश्त की भूमि हड़पने एवं कब्जे से बेदखल करने का आशय रखते है। दिनांक 02.01.2019 को वादीगण को प्रतिवादी/अपीलांटस द्वारा धमकी दी गई कि वे विवादित आराजी पर जबरन कब्जा कर वादीगणी/ रेस्पोडेन्टस को मौके एवं कब्जे से बेदखल करेगे तथा भूमि की मेर, कोट, सीमा, हद–हदूद को तोड़कर इकजाई करेगें जिससे यह वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। उक्त वाद के साथ वाद के कथनों के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत अप्रार्थी/अपीलांट को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक),दूदू द्वारा दिनांक 15.01.2019 के द्वारा अपीलांटस को जरिये अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कर दिया। अपीलांटस ने अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 15.01.2019 से असंतुष्ट होकर यह अपील न्यायायल हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

अभिभाषक अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि अपीलांटस ग्राम बिचून तहसील मौजमाबाद स्थित जमाबंदी सम्वत 2070 से 2073 के खाता संख्या 23 नया के खसरा नम्बर 1242, 1245, 1247, 1248, 1249, 1250, 1252 कुल किता 9 कुल रकबा 3.97 है0 के भूमि के खातेदार काश्तकार है। उक्त अपीलांटस की भूमि पर रेस्पोडेन्टस नाजायज रूप से विधि विरूद्ध तरीके से आये दिन कब्जा करने, सींव तोड़ने का प्रयास करते है जबकि अपीलांटस के द्वारा ऐसा कोई कृत्य नहीं किया गया। रेस्पोडेन्टस द्वारा बेबुनियाद, मनगढ़ंत व झूठे कथनों पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के तथ्यों को बिना देखे गलत एवं अविधिक रूप से अपीलांटस को पाबंद करने का जो आदेश पारित किया है वह काबिल निरस्तनीय है। रेस्पोडेन्टस, अपीलांटस के पडौसी खातेदार काश्तकार है जो आये दिन खेत की मेड़ व सींव के सम्बन्ध में विवाद उत्पन्न करते रहते है जिसके लिए अपीलांटस ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्थरगढ़ी हेतु एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत किया। उक्त प्रार्थना पत्र में पत्थरगढ़ी नहीं हो सके इसके लिए प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटस को बिना नोटिस व सुनवाई का अवसर दिये अप्रार्थीगण/ अपीलांटस को पाबंद करने का जो आदेश पारित किया है वह प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तो के विपरीत होने से काबिज निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटस को बिना नोटिस व सुनवाई का अवसर दिये अप्रार्थीगण/ अपीलांटस को पाबंद करने का जो आदेश पारित किय

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
20.11.19	अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटस को बिना नोटिस व सुनवाई का अवसर दिये अप्रार्थीगण / अपीलांटस को पाबंद करने का जो आदेश पारित किया था जिसकी जानकारी प्रार्थीगण को नहीं थी प्रार्थीगण को कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुए। प्रार्थीगण को सर्वप्रथम जानकारी प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. भू–राजस्व अधिनियम पर आदेश होने एवं पत्थरगढ़ी करने हेतु पटवारी हल्का द्वारा आने पर अप्रार्थीगण ने विवाद उत्पन्न किया एवं स्थगन होने के बारे में बताया। उक्त अपील जानकारी से अन्दर मियाद प्रस्तुत की जा रही है। अतः अपील प्रस्तुतीकरण में हुआ विलम्ब सद्भाविक होने से क्षमा योग्य है। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 15.01.2019 की पालना एवं प्रभाव को स्थगित नहीं किया गया तो उक्त आदेश की आड़ मे अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि पर जबरन कब्जा करने का प्रयास करेगें जिससे अनावश्यक मुकदमें बाजी होकर प्रार्थीगण को अपूरणीय आर्थिक एवं मानसिक क्षति होगी। प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण / अपीलांट के पक्ष में है। अभिभाषक अपीलांट की बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति एवं प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। रिकार्ड के अवलोकन से जाहिर है कि उभयपक्षों के मध्य कृषि भूमि के सम्बन्ध में सद्भाविक विवाद विद्यमान है। इस सम्बन्ध में उच्चतर न्यायालयों के विभिन्न न्यायिक दृष्टांत में पारित सिद्धान्त की अवधारणा के अनुसार कृषि भूमि के सम्बन्ध में सद्भाविक विवाद मौजूद होने पर विवादित आराजी यथास्थिति के आदेश से संरक्षित किया जाना न्यायसंगत है। अधीनस्थ न्यायालय ने न्यायहित में उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए विवादित आराजी के भौतिक स्थिति एवं राजस्व अभिलेख को यथावत् रखी वह न्यायालय के मत से न्यायहित में उचित है। अपीलांट ने यह अपील अन्तरिम स्थगन आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की है तथा अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना जवाब प्रस्तुत कर आपत्ति नहीं कर, अधीनस्थ न्यायालय के अन्तरिम स्थगन आदेश दिनांक 15.01.2019 के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की ह। विवादित आराजी पर हक व हकूक का निर्धारण तो मूल वाद में साक्ष्य उपरान्त ही होगा। प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा किया जाना हैं। न्यायहित में व पक्षकारान के समय तथा आर्थिक व्ययता को मध्यनजर रखते हुए, हम अपील को इसी स्तर पर निर्णित कर प्रकरण को इस आशय से अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है कि वे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का 30 दिवस में उभयपक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर देते हुए गुणावगुण पर निर्णित करें। **अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक),दूदू को निर्देशित किया जाता है कि वे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का निस्तारण 30 दिवस में करें। आदेश की एक प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावे पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।**	